न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 13/21 **सन् 2021**

आरसीएमएस संख्या 2021/38

बउनवानी :–1. कमलेश पुत्र राजाराम माली निवासी मुरली मनोहरपुरा तह. चौथ का बरवाडा जिला स0मा0

बनाम

1. सुरेश नारायण नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण सख्या 542/2021 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट उनवानी सरकार बनाम कमलेश, अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. ऐक्ट)

उपस्थित: 1. श्री उमा शंकर शर्मा — वकील प्रार्थीगण

2. श्री तोफिक मोहम्मद (वकील) — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 11.8.2021**

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 542/2021 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट उनवानी सरकार बनाम कमलेश के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि आराजी रकबा 267 बीघा 17 बिस्वा लक्ष्मीनारायण,जग्गा,बजरंगा,बाला,करणा,नारायण व भौमा आदि खातेदारों के कब्जे काश्त की थी और एस.डी.ओ. का आदेश दिनांक 28.5.1956 से इन खातेदारो को बेदखल कर जगन्नाथ को इस आराजी का आवंटन किया किन्तु निगरानी मे माननीय राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 25.9.1957 से उपजिला कलेक्टर के दोनो आदेश दिनांक 21.5.1954 व 28.5.1956 को निरस्त कर दिया और जगन्नाथ ने इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जो वहॉ से भी खारिज हो गयी अतः जगन्नाथ का इस आराजी पर कोई सम्बन्ध नही रहा है। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 30.7.1971 से विवादित आराजी पर से जगन्नाथ को बेदखल कर खातेदार लक्ष्मीनारायण वगै. के पक्ष में रेस्टोर कर दिया जिसकी पालना में नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 को जगन्नाथ के स्थान पर लक्ष्मीनारायण वगै. के पक्ष में खोल दिया। नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 लक्ष्मीनारायण वगै. के पक्ष में तस्दीक किया गया था उसे माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.6.2008 को रेस्टोर कर सिवायचक का आदेश निरस्त कर दिया था किन्तु फिर भी नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की रोशनी मे उचित नही है। यह तर्क भी दिया कि नायब तहसीलदार ने जगन्नाथ के आदमियों से साझ कर ली है तथा साठगांठ करके दुभावनापूर्ण निर्णय करने पर उतारू है तथा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के विरूद्व प्रार्थी ने श्रीमान के जरिये वकील उमाशंकर एडवोकेट से शिकायत कर दी है इस कारण रंजिश से नायब तहसीलदार से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिए तहसीलदार चौथ का बरवाडा मे विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर प्राप्त टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि विवादित आराजीयात कुल किता 46 कुल रकबा 267 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रिकार्ड मे [illegible] पुत्र सीताराम ब्राहामण निवासी शिवाड की खातेदारी में अंकित थी। इसलिए एक्ट के प्रावधान [illegible] कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश द्वारा उक्त खातेदारान मात्र 30 एकड भूमि [illegible] के कारण शेष 49 एकड भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली । उक्त आदेश के विरूद्व लक्ष्मीनारायण पुत्र लालू [illegible] प्रस्तुत की थी जो दिनांक 31.12.1976 को खारिज कर दी गयी थी जि[illegible] विरूद्व राजस्व अपील [illegible] कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जो दिनांक 31.10.1977 को खारिज कर दी गयी। उक्त दोनो राजस्व न्यायालयों के निर्णय के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेंर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसको माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 19.3.1985 को खारिज कर दी गयी। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं अन्य का उक्त भूमि पर कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:43 IST
Reason: SelfAttested

66

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिकार नही था किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त खातेदार जगन्नाथ की 46 किता भूमि रकबा 267 बीघा 17 बिस्वा का नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 याचिगण व अन्य के नाम तस्दीक कर दिया जो तथ्यों के विपरीत एवं विधि विरूद्व था इस कारण उक्त नामा0 को निरस्त करवाने हेतु उपजिला कलेक्टर ने राजस्व नियम,1982 के प्रावधानों के तहत प्रकरण संख्या 119/1992 अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दोनो पक्षों को विधिवत नोटिस जारी कर तलब कर सुनवायी का अवसर देते हुए अपने आदेश दिनांक 23.12.1993 के द्वारा यह माना था कि नामा0 संख्या 11 विधि विरूद्व तस्दीक किया गया है। खातेदार जगन्नाथ की भूमि जिस आदेश से सिलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित की गयी थी उस आदेश को सभी न्यायालयों ने बहाल रखते हुए सिलिंग एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही को उचित मानते हुए उसमे कोई परिवर्तन नही किया गया है तथा नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 को निरस्त करवाने हेतु राजस्व मण्डल को रैफर किया जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर अपने आदेश दिनांक 18.10.1999 के द्वारा उक्त रैफरेन्स को स्वीकार कर लिया तथा नामा0 संख्या 11 दिनांक 8.3.1977 को निरस्त कर दिया। किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.6.2008 द्वारा उक्त नामा0 संख्या 11 को रिस्टोर किये जाने के आदेश दिये गये है जिसके विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 2511/2011 सरकार बनाम कमलेश द्वारा चुनौती दी जाने डी.बी. में विचाराधीन है। यह भी तर्क दिया कि गत वर्ष 2076 व इस वर्ष 2077 फसल रबी मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी है जिसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही किया जाना माननीय न्यायालय के स्थगन के दायरे मे नही नही आता है इसलिए इनके विरूद्व कार्यवाही किया जाना माननीय न्यायालय के निर्णय एवं वर्तमान मे जारी न्यायिक कार्यवाही के हित मे होगा। प्रार्थी द्वारा सम्वत् 2076 की 91 की कार्यवाही के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर के न्यायालय को अन्तरित करवाकर फसल का लाभ लिया है जिसमे राजस्व की हानी हुई है तथा उक्त प्रकरणों के पैराज भी बकाया चल रहे है। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा ग्राम मुरली मनोहरपुरा की भूमि जो सिलिंग मे अधिग्रहित की गयी थी जिसके कम में नामा0 संख्या 11 को खारिज करवाने बाबत प्रस्तुत रैफरेन्स दिनांक 18.10.1999 को राजस्व मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाकर नामा0 संख्या 11 को निरस्त किया गया है। किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1692/2001 जगदीश बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 30.6.2008 के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 11 को रिस्टोर किया है जिसके विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में तहसीलदार द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 2511/2011 सरकार बनाम कमलेश पेश की गयी है जो विचाराधीन है, जिसमे प्रार्थी पक्षकार नही है। चूंकि मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित भूमि वर्तमान मे सिवायचक दर्ज है एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिया गया है। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण मे विधिवत कार्यवाही की जा रही है परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा पर सुनवायी का समुचित अवसर नही दिये जाने बाबत आक्षेप लगाया है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के न्यायालय में जैरकार प्रकरण संख्या 542/2021 सरकार बनाम कमलेश को तहसीलदार चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है। प्रार्थी दिनांक 9.9.2021 को न्यायालय तहसीलदार [illegible] उपस्थित हो। नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा नियत दिनांक से पूर्व संबंधित पत्रावली [illegible] तहसीलदार चौथ का बरवाडा को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.8.2021 को [illegible] गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:43 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर